



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई

Sanjay B. Gawai

कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/2009/वि.प. (22)/2015/६०९

दिनांक: 16.06.2015

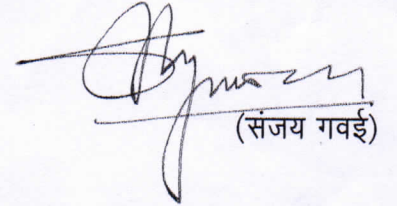
कार्यालयादेश

14 मार्च, 2015 को आयोजित विद्या-परिषद की 22^{वीं} बैठक की मद संख्या 14 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के आलोक में समस्त विभागों, केंद्रों और विद्यापीठों के पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित समिति गठित की जाती है-

1. प्रो. मनोज कुमार, अध्यक्ष
2. प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल, सदस्य
3. प्रो. के. के. सिंह, सदस्य

समिति से अनुरोध है कि वह अपना प्रतिवेदन दिनांक 19 जून, 2015 तक माननीय कुलपति को प्राथमिकता के आधार पर सौंपे ताकि उसे विद्या-परिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ/अनुमोदनार्थ रखा जा सके।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।



(संजय गवई)

प्रति: संबंधित को।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक)
5. सहायक कुलसचिव (स्थापना एवं प्रशासन)
6. सहायक कुलसचिव (परिषद)
7. सभी विद्यापीठ/विभाग/केंद्र
8. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. संबंधित फाइल